80

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 482-एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-2-15 पारित द्वारा कलेक्टर, छतरपुर प्रकरण कमांक 108/अ-19(4)/स्व0निग0/05-06.

अरविन्द कुमार तनय स्व0 श्री हरीबाबू खरे
निवासी ग्राम चन्द्रनगर तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0 ------ आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, छतरपुर ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. श्रीवास्तव ।
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री पी0एस0 जादौन ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8-7-2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 108/अ-19(4)/स्व. निग./05-06 में पारित आदेश दिनांक 13-2-15 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय में म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत ग्राम चन्द्रनगर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 558/2 एवं 561 रकबा क्रमशः 0.405 एवं 0.226 हैक्टर के व्यवस्थापन हेतु आवेदन दिया गया । उक्त आवेदन पर तहसीलदार,

राजनगर ने प्रकरण क्रमांक 05/अ-19(4)/2001-02 पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 30-7-2002 द्वारा उक्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक को किया गया । साढ़े तीन वर्ष उपरांत दिनांक 17-2-06 को अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया जिसका उत्तर आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तदुपरांत अपर कलेक्टर ने दिनांक 13-2-15 को आदेश पारित करते हुए तहसीलदार का आदेश दिनांक 30-7-02 विधि विपरीत मानते हुए निरस्त किया । अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1984 के पूर्व से चला आ रहा है इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नहीं देखा है कि वर्ष 1986-87 में आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण का प्रकरण चला था जिसमें उसे दंडित किया गया था । विचारण न्यायालय ने विधिवत प्रक्रिया अपनाने के उपरांत तथा आवेदक का वर्ष 2-10-84 के पूर्व से कब्जा होना प्रमाणित पाए जाने के पश्चात विवादित भूमि का व्यवस्थापन किया था ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शपथपत्र में उम्र के आधार पर आवेदक को दिनांक 2-10-84 को 14 वर्ष का नाबालिग माना है, जो सही नहीं है क्योंकि आवेदक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है । उक्त निष्कर्ष निकालने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि वर्ष 1986-87 में तहसीलदार, चन्द्रनगर द्वारा आवेदक के विरूद्ध विवादित भूमि के संबंध में अतिक्रमण का प्रकरण चलाकर दोषी मानकर दंडित किया था । निगरानीकर्ता जिस समय व्यवस्थापन किया गया उस समय वह पूर्णतः बालिग था यदि अंदाजन उम्र गलत लेख की गई थी तो इस तथ्य पर साक्ष्य बुलाई जा सकती थी । आवेदक द्वारा इस संबंध में आवेदन भी दिया गया था परंतु साक्ष्य बुलाने के आवेदन खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 3.5 वर्ष उपरांत प्रकरण

स्वमेव निगरानी में लेकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26, न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि वंटन में प्राप्त भूमि को आवेदक ने काफी धन एवं श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है सिंचाई के साधन किये हैं । 13 वर्ष उपरांत व्यवस्थापन रद्द करना न्यायदान नहीं है । यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई थी तो उक्त त्रुटि के कारण आवेदकों को वंचित करना न्यायोचित नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 2009 आर.एन. 251 इंदारसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4- अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदकों को अपात्र होते हुए किया गया है इसलिए निगरानी निरस्त की जाये ।

5- उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकरण में तहसीलदार, राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-19(4)/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-7-2002 द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाये जाने के उपरांत में म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत ग्राम चन्द्रनगर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 558/2 एवं 561 रकबा क्रमशः 0.405 एवं 0.226 हैक्टर का व्यवस्थापन किया गया है । तहसीलदार के इस आदेश को कलेक्टर द्वारा साढ़े तीन वर्ष की अवधि के उपरांत दिनांक

17-2-06 को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर 12 वर्ष उपरांत दिनांक 13-2-15 द्वारा निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उक्त अवधि को आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकता है । न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । " किंतु वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित अवधि के पश्चात प्रकरण स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जाना विधि की मंशा के विरूद्ध है । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

6- अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि आवेदक पर तहसीलदार, राजनगर द्वारा प्र0क0 636/अ-68/87-88 में पारित आदेश दिनांक 21-6-88 द्वारा अतिक्रामक मानते हुए अर्थदण्ड आरोपित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को अनदेखा किया है तथा इस बिंदु पर भी विचार नही किया है कि नाबालिग व्यक्ति अतिक्रामक नहीं हो सकता है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की 2-10-84 को आयु 14 वर्ष मानना त्रुटिपूर्ण है । आवेदक के इस तर्क में भी बल है कि यदि अंदाजन उम्र गलत लेख की गई थी तो इस तथ्य पर साक्ष्य बुलाई जा सकती थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के साक्ष्य बुलाने के आवेदनपत्र को खारिज करना प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए न्यायोचित नहीं है ।

7- प्रकरण में विचार योग्य बिंदु यह भी है कि तहसीलदार, राजनगर द्वारा

भूमि का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30-07-2002 द्वारा किया गया । भूमि बंटन/व्यवस्थापन में प्राप्त कर कब्जा लेने के बाद आवेदकों ने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर कृषि योग्य बनाया गया है ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसी भूमि को 12 वर्ष उपरांत पुनः शासकीय घोषित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 2009 आर. एन. 251 (इंदर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 50 - भूमि आदिवासी/आवेदकगण को आवंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई हैं । " इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों को अनदेखा किया गया है । इस कारण कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 108/अ-19(4)/स्व0निग0/05-06 में पारित आदेश दिनांक 13-2-15 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-19(4)/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-7-2002 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम चन्द्रनगर स्थित प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का नाम पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर